

326 करोड़ रुपये के सोना, हीरे और अन्य अमूल्य धातुओं की स्मगलिंग के आरोपियों को जमानत

जयपुर, (का.सं.) राजस्थान हाईकोर्ट में सोना, हीरे और अन्य अमूल्य धातुओं की विवादित रूप से खरीदने तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के अन्तर्गत उस खरीदने की जानकारी को छुपाकर शुल्क नहीं जमा करने से संबंधित मामले में आरोपियों को अदालत ने जमानत दी है। न्यायाधीश विनोद कुमार भारवाणी ने रविन्द्र कुमार तथा अन्य संलग्न मामलों में आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दी है कि इस मामले में सभी गवाह सरकारी अफसर हैं, जो इसी मामले की जांच से जुड़े हैं, अर्थात् उनकी गवाही और सबूतों को प्रभावित नहीं कर पायेंगे। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर में चल रही है, इसलिए सुनवाई के दौरान उनकी जमानत खारिज करना उचित नहीं होगा। इस मामले में कस्टम अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष परिवार प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके अनुसार मुख्य आरोपी रविन्द्र कुमार,

मुख्य आरोपी रविन्द्र कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.आर.बाजवा, अन्य आरोपी ओम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता शहबान नकवी, सुरेश रतनलाल की ओर से अधिवक्ता एस.एस.होरा और दीपक कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण गोयल पैरवी के लिये पेश हुए थे। वहीं कस्टम विभाग की ओर से अधिवक्ता किशुक जैन पैरवी के लिये पेश हुए थे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य पर आधारित है। इस क्रम में जांच व बरामदगी की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इसलिये ना तो दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों और गवाहों की खुर्द-बुर्द होने की संभावना है और ना ही मुख्य गवाहों को डराने धमकाने की आशंका भी नहीं है। अतः अनुसंधान के दौरान प्रार्थियों को अनिश्चितकाल के लिये रिमांड पर रखना न्यायोचित और विधि सम्मत नहीं है।

कस्टम अधीक्षक का कहना है कि कई नई फर्म तथा कई अस्तित्वहीन फर्मों के नाम से 326 करोड़ से अधिक की रकम भारत से बाहर भेजी और रविन्द्र कुमार के साथियों विक्रम सिंह और कमलेश नागदा द्वारा 200 बैंक खातों द्वारा करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया था। इस मामले में कस्टम अधीक्षक ने कहा कि जांच के दौरान रविन्द्र कुमार के साथी और आरोपी द्वारा इसी मामले में दूसरे अभियुक्त विक्रम सिंह को 80-90 करोड़ रुपये के धरोहर फर्जी फर्मों के खातों से रकम को बाहर भिजवाया। इस मामले में मुख्य आरोपी रविन्द्र कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.आर.बाजवा पैरवी के लिये पेश हुए थे तथा अन्य आरोपी ओम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता शहबान नकवी, सुरेश रतनलाल की ओर अधिवक्ता एस.एस.होरा और दीपक कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण गोयल पैरवी के लिये पेश हुए थे। वहीं कस्टम विभाग की ओर से अधिवक्ता किशुक जैन पैरवी के लिये पेश हुए थे।

प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन पर बड़ा-चढ़ाकर आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है लेकिन इस अपराध के विरुद्ध उनके पास प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली मौजूद नहीं है। उन्हें डरा-धमकाकर एवं दबाव बनाकर कथन लेखबद्ध किये गये हैं लेकिन पृष्ठाख के दौरान लेखबद्ध किये ऐसे तथ्यों का अदालत में कोई महत्व नहीं होता है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया कि यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य पर आधारित है। इस क्रम में जांच व बरामदगी की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इसलिये ना तो दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों और गवाहों की खुर्द-बुर्द होने की संभावना है और ना ही मुख्य गवाहों को डराने धमकाने की आशंका भी नहीं है। अतः अनुसंधान के दौरान प्रार्थियों को अनिश्चितकाल के लिये रिमांड पर रखना न्यायोचित और विधि सम्मत नहीं है। इस पर अदालत ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की दो सिस्कोरिटी मुचलके रखकर जमानत के आदेश दिये।

दक्षिणी-पश्चिमी कमान में अलंकरण समारोह का आयोजन



दक्षिणी-पश्चिमी कमान के सेना कमांडर अमरदीप सिंह भिंडर ने 17 सेना पदक (शौर्य), एक सेना पदक (प्रतिष्ठित) और एक विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए।

जयपुर। सेना दक्षिण पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह बुधवार को बॉटंडा मिलिट्री स्टेशन के सगत सिंह सभागार में पारंपरिक उत्साह और सैन्य भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कुल सत्रह सेना पदक (शौर्य), एक सेना पदक (प्रतिष्ठित) और एक विशिष्ट सेवा पदक लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर, सेना कमांडर, दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा प्रदान किए गए। अलंकरण समारोह वृष में एक बार उन कर्मियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिन्होंने व्यक्तिगत वीरता और कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण के कार्यों से खुद को प्रतिष्ठित किया है। पुरस्कार पाने वालों में नौ अधिकारी, एक सरदार और नौ सैनिक शामिल थे। 61 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के सिपाही लक्ष्मण के निकट संबंधी को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। पांच यूनिटों को सेना अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया तथा 15 यूनिटों को जौओसी-इन्-सी यूनिट प्रशंसा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। सेना कमांडर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने का आग्रह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने बाद में पुरस्कार विजेताओं, उनके परिवारों के साथ बातचीत की और भारतीय सेना और राष्ट्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान को सराहा।

आंजना के परिजनों से मिले डॉ. पूनियां

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रतापगढ़ जिले के केसुदा पहुंचकर विकास आंजना के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांडस बंधाया और राज्य सरकार से हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है।

संक्षिप्त

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को

जयपुर, (का.सं.) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की निचली कोर्ट में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा करने के लिए 8,07,142 केसों को चिन्हित किया गया है। इन केसों में 4,65,614 केस प्रिलिटिगेशन के हैं और 3,41,528 केस कोर्ट में लिखित केस हैं। इन केसों की सुनवाई के लिए 500 बेंच बनाई गई हैं। रासला के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केसों के निस्तारण के लिए रोडवेज, परिवहन, राजस्व सहित अन्य विभागों के सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा बैंकों व बीमा कंपनियों के अफसरों के साथ भी उनसे जुड़े केसों में निस्तारण के लिए बातचीत की है। वहीं प्री-कार्डसलिंग के सेशन भी करवाए हैं।

फर्जी परीक्षार्थी चकमा देकर फरार

जयपुर (का.सं.) गांधीनगर इलाके स्थित पोलोटेक्निक कॉलेज में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया, जोकि चेंकिंग दस्ता को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है। थानाधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया 7 फरवरी को झालाना स्थित राजकीय खेतान पोलोटेक्निक कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान चेंकिंग करते न गौरव कुमार मीणा की जगह मनीष बासलीवाल को परीक्षा देते पकड़ा गया। इस दौरान मनीष चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

जयपुर (का.सं.) एयरपोर्ट इलाके में एक युवती से देहशोषण का मामला सामने आया है। थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया इलाके निवासी 33 वर्षीया युवती की करीब 5 साल पहले सोशल मीडिया पर विजेंद्र से दोस्ती हुई थी। आरोप है शादी का झांसा देकर विजेंद्र पीडिता के साथ देहशोषण करता आ रहा है। इस दौरान नकदी और गहने पर भी हड़प लिए। अब शादी से इंकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

यात्री के बैग में कारतूस मिला

जयपुर। सिंधी कैंप इलाके स्थित मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के बैग में कारतूस मिला है। पुलिस ने बताया 6 फरवरी को भूडा गेट, डीग जिला भरतपुर निवासी ओमप्रकाश जाटव मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 1 से बाहर आ रहा था। इस दौरान चेंकिंग मशीन में बैग जाने पर बीप हुई। अंदर तलाशी में देशी कट्टे का जिंदा कारतूस मिला। इस पर आरोपी ओमप्रकाश जाटव को गिरफ्तार किया गया है।

कैनवास पर उकेरे अभिव्यक्ति के रंग

जयपुर, (का.सं.) मरीजों का इलाज करने वाले हाथों ने जब पेंट ब्रश पकड़ा तो कैनवास पर अच्छे से अभिव्यक्ति के रंग उकेरे। मौका था एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में आयोजित हुए लिटरेचर फेस्टिवल अभिव्यक्ति का जिसमें डॉक्टरों ने पेंटिंग, स्केचिंग, ड्रइलिंग, कार्टूनिंग जैसी रचनात्मक कलाओं में अपना हुनर दिखाया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की शुरुआत की।



एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में लिटरेचर फेस्टिवल अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया।

जस्टिस मेहता को गुवाहाटी का सीजे बनाने की सिफारिश



जयपुर, (का.सं.) सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीजे बनाने की सिफारिश की है। सीजेआई सहित तीन जजों के कॉलेजियम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे आरएम छाया हाल ही में रिटायर हुए हैं और वहां पर सीजे की नियुक्ति करनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता की नियुक्ति 30 मई 2011 को की गई थी और उनका रिटायरमेंट 10 जनवरी 2025 को होना है। देश के हाईकोर्ट में सीजे पद पर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में जस्टिस मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने का प्रस्ताव लिया जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर ही राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पंकज मिथल को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया था।

लॉन टेनिस में भी डॉक्टरों ने आजमाए हाथ

हिंदी भाषा में सामाजिक मूल्यों में निरंतर पतन का कारण इंटरनेट व सिनेमा है विषय रहा। वहीं अंग्रेजी में राइट टू यूथनेसिया विषय पर वाद-विवाद किया गया। लिटरेचर फेस्टिवल के अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में लॉन टेनिस टूर्नामेंट भी आयोजित हुआ। संयोजक डॉ. जयंत सेन ने बताया कि पहले दिन दो कोर्ट में 15 मुकाबले हुए जिसमें विजेताओं ने रोमांचक जीत हासिल की। इसमें 4 मुकाबले डबल्स में जबकि 11 मुकाबले सिंगल्स में हुए।

कोई नया संक्रमित नहीं मिला

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। प्रदेश में बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला। इस दौरान पांच संक्रमितों के रिकवर होने से एकटिव केस घटकर 10 रह गए हैं। प्रदेश में बुधवार को भी कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले मंगलवार को भी कोई संक्रमित नहीं पाया गया था। राजधानी जयपुर में भी आज कोई नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में भरतपुर में 5 मरीजों के ठीक होने से एकटिव केस घटकर 10 रह गए हैं। फिलहाल जयपुर में 5, उदरपुर में 3 तथा अलवर और भरतपुर

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां के नेतृत्व में पार्टी पूरे राजस्थान में मजबूत हुई

भाजपा के आदिवासी नेताओं ने कहा, "तीन-चौथाई बहुमत की सरकार बनेगी"

जयपुर। राजस्थान के वागड और हाड़ौती क्षेत्र के भाजपा के आदिवासी नेताओं ने बयान जारी कर भाजपा राजस्थान संगठन व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां के नेतृत्व की प्रशंसा की है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां के नेतृत्व में भाजपा किसान कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, लंपी इत्यादि तमाम जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर है, दर्जनों से अधिक आंदोलन जयपुर से प्रदेश के सभी जिलों में किये और आगामी दिनों में होंगे, पार्टी संगठन की मजबूती से लेकर जनता की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्रिय है। इन आदिवासी नेताओं का कहना है कि किसानों और युवाओं के मुद्दों पर आंदोलनों का नेतृत्व करते हुये सतीश पूनियां के शरीर पर कई गंभीर चोटें

महीनेभर तक अस्पताल में भर्ती रहते हुये जिंदगी और मौत से जुड़े, जिसमें वह प्रदेश के कार्यकर्ताओं व जनता की दुआओं के कारण मौत को मात देकर फिर से जनता के बीच आकर लगातार संगठन की मजबूती में जुटे हैं और जनता के मुद्दों को उठाने में पूरी तरह मुखर रहते हैं। हाड़ौती संघर्ष के पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने हाल ही में राजसमंद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां के बारे में किसी भी कार्यकर्ता से पूछा जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अफसरशाही को किया तलब



विधानसभाध्यक्ष सी.पी.जोशी ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रश्नकाल के बाद गायब रहने वाली अफसरशाही को लेकर नाराजगी जताई।

अध्यक्ष ने अधिकारियों को तलब किया था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को विधानसभा में प्रदेश के प्रमुख आईएस अफसरों की कत्तास ली। विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब समय पर तैयार करके नहीं देने और सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों आश्वासनों पर कार्रवाई की जानकारी नहीं देने के कारण विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश की अफसरशाही से नाराज हैं। यहीं कारण है कि उन्होंने बुधवार को विधानसभा के शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पदों पर कार्यरत आईएस अफसरों को

'ना प्रश्नों के उत्तर समय पर आ रहे हैं, ना मंत्रियों के आश्वासन पर कार्यवाही हो रही'

प्रश्नों, आश्वासनों, प्रस्तावों पर अब तक जवाब नहीं आने और कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। प्रदेश की अफसरशाही और राजनीतिक इतिहास में पहला मौका है, जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह से आईएस अफसरों को सीधे बुलाकर जवाब-तलब किया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि प्रश्न व संदर्भ समिति और अध्यक्ष स्तर पर प्रश्नों का जवाब नहीं देने, प्रस्तावों की जानकारी अब तक तैयार नहीं करने, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के तहत मंत्रियों के स्तर पर दिए गए आश्वासनों की जानकारी मुद्दे नहीं करवाने को अफसरों के स्तर पर गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरतना माना गया है।

जयपुर में फिर प्रोपर्टी कारोबारी को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी

पीडित ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया, पुलिस ने सुरक्षा दी

जयपुर। राजधानी में जी क्लब में फायरिंग के बाद एन प्रोपर्टी कारोबारी को धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग के अनमोल विरनोई ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की है। इस संबंध में पीडित ने प्रताप नगर थाने में सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा मुद्देया करवा दी है। पुलिस ने बताया कि काकी कॉलोनी निवासी प्रोपर्टी डीलर व होटल व्यापारी को 6 फरवरी को फोन पर वॉयस मैसेज कर धमकी दी गई। उसके बाद व्यापारी को दो बार इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से वाट्सएप कॉल आए, तिसरे व्यापारी ने रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं करने के कारण व्यापारी को धमकी भरे 5 वॉयस मैसेज आए। उसके बाद फिर से वाट्सएप कॉल आया जो रिसीव नहीं किया। जिसके बाद व्यापारी को धमकी भरे 3 यूट्यूब विलप भेजे गए। तीन वाट्सएप कॉल आए। व्यापारी को वीडियो विलप भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई अनमोल विरनोई बताया। कॉल रिसीव कर बात नहीं करने पर उसने गोली मारने की धमकी दी। विलप में धमकी दी कि साथ मिलकर चलो नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गोली मार दी जाएगी। धमकी के

चलते व्यापारी दहशत में हैं। इधर पुलिस गैंगस्टरों की कवच तोड़ने में लगी हुई है। इसके चलते गैंगस्टर लॉरेंस विरनोई, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और रितिक बाँक्स को सोशल मीडिया पर फोलो व लाइक करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी पी ईस्ट डॉ. राजीव पवार ने बताया कि इन गैंगस्टरों को पोस्ट को लाइक व शेयर करने पर पुलिस ने मालवीय नगर, जवाहर सैंकिल, बस्सी और रामनगरिये से शिवसिंह शेखावत, विकास शर्मा, अश्विषेक मीणा तथा सोरभ नारौली को गिरफ्तार किया है।